



36वाँ मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी वसित्त वश्लेषण प्रशक्षण कार्यक्रम

नेशनल ई-गवर्नेस डव्जिन (NeGD) ने अपनी कषमताओं में बढोतरी के उद्देश्य से एक वश्लेषण परयोजना के तहत 36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (Chief Information Security Officers- CISO) वसित्त वश्लेषण प्रशक्षण कार्यक्रम का आयोजन कया। नई दलिली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजत इस अभ्यास सत्र में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों एवं केंद्रशासत प्रदेशों के 24 प्रतभागयों ने भाग लया।

- यह प्रशक्षण कार्यक्रम [साइबर सुरक्षत भारत पहल](#) के तहत आयोजत कार्यशालाओं की शृंखला का एक हससा है।

साइबर सुरक्षत भारत पहल:

- साइबर सुरक्षत भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी वभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारयों (CISOs) एवं अग्रमि पंक्त के सूचना प्रौद्योगकी अधिकारयों की कषमता नरमाण के मशिन के साथ की गई थी।
- इसे इलेक्ट्रॉनकिस और सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) द्वारा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस डव्जिन (NeGD) तथा भारत में वभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से लॉन्च कया गया था।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी वसित्त वश्लेषण प्रशक्षण कार्यक्रम:

- परचय:
 - यह प्रशक्षण [सार्वजनक नज्जी भागीदारी](#) (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघों के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है।
- उद्देश्य:
 - साइबर खतरों के उभरते परदृश्य को लेकर जागरूकता उत्पन्न करना।
 - साइबर संबंधत समाधानों की गहन समझ प्रदान करना।
 - साइबर सुरक्षा से संबंधत रूपरेखा, दशा-नरदेश और नीतयों का नरमाण करना।
 - सफलता और असफलताओं से सीखने के लयि सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना।
 - साइबर सुरक्षा से संबंधत मुद्दों पर उनके संबंधत कार्यात्मक कषेत्र में सूचत नरणय लेने के लयि महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना।
- प्रतभागी:
 - यह कार्यक्रम मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारयों (CISO) और वभिन्न मंत्रालयों एवं वभागों के अग्रमि पंक्त के IT अधिकारयों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनक उपक्रमों और बैंकों सहत अन्य के लयि आयोजत कया जाता है।
- प्रशक्षण:
 - नेशनल ई-गवर्नेस डव्जिन (NeGD) प्रशक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु रसद सहायता प्रदान करता है, जबक उद्योग संघ प्रशक्षण के लयि तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
 - उद्योग के प्रशक्षण भागीदार माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, पालो अल्टो नेटवर्क्स, E&Y और डेल-EMC, [NIC](#), [CERT-In](#) तथा [CDAC](#) सरकार की ओर से भागीदार हैं।

साइबर सुरक्षा बढाने से संबंधत अन्य पहलें:

- वैश्वक:
 - [साइबर क्राइम पर बुडापेसट अभसिमय](#)
 - [इंटरनेट गवर्नेस फोरम \(IGF\)](#)
- भारत-वश्लेषण:
 - [राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीत 2020](#)
 - [राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र \(NCIIPC\)](#)
 - [भारतीय साइबर अपराध समनवय केंद्र \(I4C\)](#)
 - [साइबर अपराधों का सामना करने के लयि नई सुवधा](#)
 - [कंप्यूटर आपातकालीन प्रतक्रया दल- भारत \(CERT-In\)](#)
 - [डजलतल वयक्तगत डेटा संरक्षण वधियक, 2022](#)

- [रक्षा साइबर एजेंसी \(DCyA\)](#)
- [डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023](#)
- [साइबर स्वच्छता केंद्र](#): यह प्लेटफॉर्म वर्ष 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर और वायरस को हटाकर अपने कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साफ करने में मदद करने के लिये पेश किया गया था।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 'वानाकराई, पेट्या और इंटरनलब्लू' जो पद हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, नमिनलखिति में से कसिसे संबंधित हैं? (2018)

- (a) एक्सोप्लैनेट
- (b) परछन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेंसी)
- (c) साइबर आक्रमण
- (d) लघु उपग्रह

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- रैनसमवेयर दुरभावनापूरण सॉफ्टवेयर (या मैलवेयर) का एक रूप है। एक बार जब यह कंप्यूटर में प्रवेश कर लेता है, तो आमतौर पर डेटा तक पहुँचकर उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुँचाता है। भुगतान करने पर डेटा तक पहुँच बहाल करने का वादा करते हुए हमलावर पीड़ित से फरौती की मांग करता है।
- 'वानाकराई, पेट्या और इंटरनलब्लू' कुछ रैनसमवेयर हैं, जिन्होंने बटिकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी) में फरौती के भुगतान की मांग की थी।
- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसमें मुद्रा की इकाइयों के सृजन को वनियमिति करने और केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से संचालित धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने हेतु एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- अतः विकल्प (c) सही है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/36th-ciso-deep-dive-training-programme>